निदेशालय
आई०सी०डी०एस०, उत्तरांचल
डी–47, सेक्टर–4, डिफेन्स कालोनी, देहरादून
सं०775 दिनांक – 26-12-06

जिला कार्यक्रम अधिकारी/
बाल विकास परियोजना अधिकारी (प्रभारी)
जनपद उधमसिंहनगर/पौड़ी गढ़वाल/बागेश्वर/
अल्मोड़ा/देहरादून/हरिद्वार

विषय :– कुक्ड फूड (पका भोजन) परियोजना सम्बन्धी दिशा निर्देश।

आई०सी०डी०एस० कार्यक्रम के अर्न्तगत आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से दी जाने वाली समन्वित सेवाओं में ''अनुपूरक पोषाहार'' एक महत्वपूर्ण घटक हैं। 03 से 06 वर्ष के बच्चे अनुपूरक पोषाहार के साथ–साथ स्कूल पूर्व शिक्षा भी आंगनबाड़ी केन्द्र में ग्रहण करते हैं, वे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन होने वाली गतिविधियों में सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं। उन्हें अनुपूरक पोषाहार के माध्यम से वर्ष में 300 दिवस, प्रतिदिन 300 कैलोरी एवं 8–10 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने का मानक निर्धारित है। 03 से 06 वर्ष के बच्चों को केन्द्र में रखते हुये, पाइलेट के रूप में, कुक्ड फूड परियोजना निम्न बाल विकास परियोजनाओं में संचालित करने का निर्णय लिया गया है :–

क्र.सं.	जनपद	बाल विकास परियोजना	आंगनबाड़ी केन्द्र
1.	अल्मोड़ा	ताड़ीखेत	101
2.	बागेश्वर	बागेश्वर	100
3.	हरिद्वार	बहादराबाद	180
4.	उधमसिंह नगर	गदरपुर	104
5.	पौड़ी	दुगड्डा	112
6.	देहरादून	सहसपुर	160
	योग		757

उद्देश्य – कुक्ड फूड स्कीम के उद्देश्य निम्नवत सुनिश्चित किये गये हैं :–

1. अनुपूरक पोषाहार लक्षित लाभार्थियों द्वारा उपभोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अनुपूरक पोषाहार स्थानीय व्यंजनों के रूप में परोसकर स्वादिष्ट एवं रूचिकर बनाया जायेगा।
3. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति दर को वर्तमान 70 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक लाया जायेगा।
4. गर्भवती/धात्री महिलाओं के समक्ष स्वच्छ भोजन पकाने एवं बच्चों को ग्रहण कराने का आदर्श प्रस्तुत किया जायेगा।
5. अनुपूरक पोषाहार तैयार करने में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा समुदाय में बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति प्रबोधन कार्यक्रम चलाया जायेगा।

6. मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

सामग्री की आवश्यकता – कुक्ड फूड स्कीम में 03 से 06 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर पकाकर अनुपूरक पोषाहार दिया जायेगा। अतः प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर निम्न सामग्री की आवश्यकता रहेगी।

क्र.सं.	सामग्री (बर्तन)	संख्या प्रति केन्द्र
1.	भगौना / पतीला (ढक्कन सहित)	1
2.	कलछी	1
3.	थाली / कटोरी (150 ग्राम तैयार पोषाहार हेतु उपयुक्त)	40
4.	चम्मच	40
5.	गिलास	40
6.	पानी की बाल्टी, ढक्कन सहित	1
7.	जग	1
8.	तवा, चकला, बेलन व चिमटा, परात	1 सेट
9.	बर्तन सफाई हेतु जूना / राख इत्यादि	आवश्यकतानुसार

सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारियों / बाल विकास परियोजना अधिकारियों (प्रभारी) को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने जनपद की समस्त बाल विकास परियोजनाओं का सर्वे कर उपरोक्तानुसार सामग्री चयनित बाल विकास परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तत्काल स्थानान्तरित कराना सुनिश्चित करें। यदि कोई सामग्री जनपद में उपलब्ध नहीं है एवं क्रय की जानी है तो इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को फैक्स संख्या 0135–2712809 पर उपलब्ध करायी जाये।

खाद्य सामग्री – वर्तमान में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा प्रदत्त इंडियामिक्स पकाकर लक्षित लाभार्थियों (03 से 06 वर्ष के बच्चों) को दिया जायेगा, भविष्य में दलिया इत्यादि दिया जायेगा, जिसके लिये अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे। उपरोक्त खाद्य सामग्री में नमक / चीनी / खाद्य तेल / पानी इत्यादि के प्रयोग से अलग–अलग व्यंजन बनाकर लाभार्थियों को दिये जायेंगे। नमक आयोडीन युक्त ही प्रयोग किया जायेगा। नमक / चीनी / खाद्य तेल की उपलब्धता सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी, जिसके लिये सम्बन्धित जनपदों को अलग से धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

ईंधन व्यवस्था – भोजन पकाने हेतु मिट्टी का तेल / लकड़ी प्रयुक्त की जायेगी, जिसकी व्यवस्था आंगनबाड़ी कार्यकत्री / सहायिका करेगी। ईंधन पर होने वाले व्यय का भुगतान बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्यकत्री / सहायिका को किया जायेगा।

वित्तीय आंकलन – कुक्ड फूड परियोजनान्तर्गत एक लाभार्थी पर प्रतिदिन 40 पैसा व्यय की उच्च सीमा (अपर–लिमिट) निर्धारित है। 03 से 06 वर्ष के 40 बच्चे प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र के मानक को ध्यान में रखते हुये, एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर, प्रति माह रू0 400 अधिकतम आवंटित किये जा सकते हैं। वर्तमान बाजार की दरों के आधार पर रू0 400 की फॉट निम्नानुसार की जा रही है।

यह आंकलन नितान्त अस्थाई है तथा आवश्यकता, स्थान एवं बाजारमूल्यों के आधार पर परिवर्तित हो सकता है :-

क्र. सं.	मद	उपयोग दिवस प्रति माह	प्रति किलो दर (रू0)	प्रति माह आवश्यकता (किग्रा0)	प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र प्रतिमाह व्यय (रू0)
1.	~~चीनी~~ गुड़	12 दिन	रू0 16	4.8 @ 0.4 किग्रा0 प्रतिदिन	76.00
2.	नमक	13 दिन	8 रू0 प्रति कि.ग्रा.	1.5 @ 0.12 किग्रा0 प्रतिदिन	12.00
3.	तेल रू0	13 दिन	40 प्रति कि.ग्रा.	2.6 @ 0.2 किग्रा0 प्रतिदिन	104.00
5.	मिट्टी का तेल / लकड़ी प्रतिदिन	25 दिन	औसतन 8.30	20 लीटर / 100 किलो0	208.00
योग					400

<u>आंगनबाड़ी स्थल –</u> जहॉं आंगनबाड़ी केन्द्र प्राइमरी पाठ्शाला में संचालित हो रहे है वहॉं यदि सम्भव हो तो बच्चों हेतु पोषाहार उसी स्थान पर पका लिया जाये। पोषाहार पकाने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र के पास का ऐसा स्थान चयनित किया जाये जहॉं बच्चों को आग से खतरा न हो।

<u>प्रशिक्षण –</u> कुक्ड फूड परियोजना लागू करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य सेविकाओं के सेक्टर स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों / सहायिकाओं का इस परियोजना के उद्देश्यों एवं संचालन से सम्बन्धित प्रशिक्षण आयोजित कराया जाय। समस्त प्रशिक्षण सत्रों में बाल विकास परियोजना अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। प्रशिक्षण माह दिसम्बर में आयोजित कर लिये जायें।

<u>व्यंजन –</u> निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गई पोषाहार सामग्री को नमक / चीनी / तेल / पानी में पकाकर विभिन्न व्यंजन तैयार किये जा सकते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा सी0एस0बी0 / इंण्डियामिक्स व्यंजन नामक पुस्तिका तैयार की गयी है। इस पुस्तिका की एक प्रति समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही जो स्थानीय, रूचिकर व्यंजन तैयार किये जायेंगे, उनकी रैसिपी का बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्तर पर प्रलेखीकरण कर निदेशालय एवं अन्य जनपदों को प्रेषित किया जायेगा।

<u>सूचना सेवा प्रबन्धन –</u> परियोजना की प्रगति सम्बन्धी सूचनायें निम्न प्रारूपों पर प्रतिमाह मासिक सूचनाओं के साथ निदेशालय प्राप्त करायी जायेंगी :-

प्रारूप-1
लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	कुल स्वीकृत केन्द्र	संचालित केन्द्र	माह के लाभार्थी		
			बालक	बालिका	योग

कुक्ड फूड परियोजना – प्रारूप 2
सामग्री उपभोग का विवरण

क्र. सं.	संचालित केन्द्र	इण्डियामिक्स / दलिया किग्रा0	चीनी		नमक		खाद्य तेल		ईधन तेल / लकड़ी		योग	
			मात्रा किग्रा0	व्यय	मात्रा किग्रा0	व्यय	मात्रा किग्रा0	व्यय	मात्रा किग्रा0	व्यय	मात्रा किग्रा0	व्यय

<u>अनुश्रवण एवं मूल्यांकन</u> – निदेशालय स्तर पर प्रत्येक समीक्षा बैठक में परियोजना की समीक्षा की जायेगी। जनपद स्तर पर डी.पी.ओ. प्रतिमाह न्यूनतम तीन कुक्ड फूड आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर अपनी आख्या निदेशक को प्रेषित करेंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी परियोजना की समीक्षा मासिक बैठकों में करेंगे जिसमें मुख्य सेविकायें अपने क्षेत्रों की प्रगति का प्रस्तुतीकरण करेंगी। समस्याओं का स्थानीय हल खोजने का प्रयास किया जायेगा। नवोन्मेषों/समुदाय के सूझावों को निदेशालय तक तत्परता से पहुंचाने का दायित्व डी.पी.ओ. का रहेगा। मार्च 2002 में योजना का मूल्यांकन विशेषज्ञ संस्था द्वारा कराया जायेगा। निदेशालय स्तर पर श्रीमती आशा रानी ध्यानी इस योजना की नोडल अधिकारी रहेंगी।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविकायें परियोजना के घटकों की जॉच – आख्या निम्न बिन्दुओं पर देंगे :–

1. परियोजना प्रारम्भ की तिथि से लाभार्थियों की उपस्थिति में वृद्वि।
2. क्या भोजन पकाने हेतु उचित स्थान उपलब्ध है?
3. क्या बर्तनों की सफाई समुचित प्रकार से हो रही है?
4. क्या भोजन पकाने एवं पीने हेतु स्वच्छ पानी दिया जा रहा है?
5. क्या बच्चे रूची पूर्वक पका भोजन ग्रहण कर रहे हैं?
6. न्यूनतम 3 अभिभावकों की इस योजना के बारे में प्रतिक्रिया क्या है?
7. क्या माता समिति की सदस्यायें नियमित रूप से केन्द्र पर उपस्थित हो रही हैं? क्या कार्यकत्री द्वारा, महिलाओं एवं किशोरियों को नियमित रूप से पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है?
8. क्या समुदाय की तरफ से इस योजना हेतु ईंधन/घी/दूध/सब्जी/फल इत्यादि सहयोग के रूप में आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपलब्ध कराया जा रहा है?
9. क्या दी गयी खाद्य एवं अन्य सामग्री का उपयोग समुचित प्रकार से हो रहा है?
10. क्या बच्चों की शारीरिक सफाई की तरफ सहायिका सजग है?
11. क्या बच्चों के बैठने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध है?
12. क्या खाद्य एवं अन्य सामग्री तथा बर्तनों का रखरखाव उचित ढंग से हो रहा

है?
13. पिछले 1 माह से कितने प्रकार के व्यंजन, दिवसवार बच्चों को दिये गये हैं?
14. बच्चों को सबसे रूचिकर कौन से व्यंजन लगते हैं?

सामुदायिक सहभागिता– कुक्ड फूड स्कीम के अन्तर्गत सामुदायिक सहभागिता एक अनिवार्य अंग रहेगा। सामुदायिक सहयोग निम्न क्षेत्रों में लिया जायेगा :–
1. भोजन पकाने हेतु ईंधन की व्यवस्था।
2. भोजन में मिलाने हेतु घी/दूध/सब्जी/फल इत्यादि। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रत्येक सम्बन्धित केन्द्र पर आंगनबाड़ी क्षेत्र की माताओं/लाभार्थी माताओं की एक माता समिति गठित की जायेगा। माता समिति में अधिकतम 20 महिलायें होंगी। समिति के 02 सदस्य रोस्ट वार प्रतिदिन केन्द्र पर उपस्थित होंगे तथा भोजन पकाने एवं वितरण की व्यवस्था का अनुश्रवण करेंगे। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के सत्रों में भी माता समिति के सदस्यों का सहयोग लिया जायेगा। यह समिति समुदाय में आई0सी0डी0एस0 की सेवाओं की मांग बढाने का कार्य भी करेगी।

सामग्री क्रय – (1) गुड़/चीनी, नमक एवं ईंधन का क्रय तथा व्यवस्था आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका द्वारा की जायेगी। आंगनबाड़ी केन्द्र पर सामग्री–क्रय–समिति में कार्यकत्री एवं सहायिका के अलावा माता समिति के तीन सदस्य भी रहेंगे। यह समिति स्टॉक पंजिका में सामग्री के अंकन एवं सामग्री प्राप्ति का सत्यापन करेंगी।

(2) एगमार्क युक्त, खाद्य, रिफाइन्ड पैकेटबन्द तेल जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कॉपरेटिव के माध्यम से क्रय किया जायेगा तथा आंगनबाड़ी केन्द्र पर प्राप्त कराया जायेगा।

कुक्ड फूड योजना के अर्न्तगत 03 से 06 वर्ष के बच्चों को ही पका भोजन दिया जाना है। 06 माह से 03 वर्ष के बच्चा, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरियों को पूर्ववत बिना पका पोषाहार टेकहोम राशन के रूप में दिया जाता रहेगा। यदि लाभार्थी किशोरी बालिकायें किसी दिवस पर भोजन पकाने एवं वितरण में सहायता करती हैं तो उस दिन उन्हें भी पका भोजन दिया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(मनीषा पंवार)
निदेशक

प्रतिलिपि :– मुख्य विकास अधिकारी, जनपद उधमसिंहनगर/पौड़ीगढ़वाल/बागेश्वर/अल्मोड़ा/देहरादून/हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस परियोजना का नियमित अनुश्रवण अपने स्तर पर भी सुनिश्चित करें।

निदेशक

261202003.pdf